

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

मी ३/१, अबेडकर भवन राजस्थान ईमेल सर्विसी एमियर जयपुर

ई मेल sjeraj_ww@yahoo.com, फोन ०१४७-२२२६६०५, २२२६६२१

क्रमांक: एफ. १५ () ()/सासु/मक./सान्याइ/२०१६/६५३२७

जयपुर, दिनांक : १३/०७/२०१६

सहयोग एवं उपहार योजना संचालन नियम, २०१५

१. योजना का नाम एवं प्रभाव क्षेत्र:-

- क) इस योजना का नाम सहयोग एवं उपहार योजना संचालन नियम, २०१५ होगा। इस योजनान्तर्गत सभी वर्गों के बी.पी.एल. परिवार की कन्याओं, अन्त्योदय परिवारों की कन्याओं, आस्था कार्डधारी परिवार की कन्याओं तथा आर्थिक दृष्टि से ऐसे कमज़ोर परिवार जिसमें कोई कमाने वाला वयस्क व्यक्ति नहीं हैं, की विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराई जा सकेगी।
- ख) यह नियम अधिसूचना जारी करने की तिथि से सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावी होंगे।

२. परिमाणः

- “राज्य सरकार” से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है।
- “विभाग” से तात्पर्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान से है
- “आयुक्त/निदेशक” से तात्पर्य आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान से है।
- “जिला अधिकारी” से तात्पर्य जिले में नियुक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी से है।
- “स्वीकृत अधिकारी” से तात्पर्य जिले में नियुक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला अधिकारी, उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी से है।
- “कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी” से तात्पर्य राज्य कोषागार के प्रभारी अधिकारी से है, जिनके हस्ताक्षर से राज्य सरकार के भुगतान सम्बंधी बिल पारित किये जाते हैं।
- “बी.पी.एल.परिवार” से तात्पर्य गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे केन्द्र एवं राज्य की बी.पी.एल.सूची में घटनित परिवारों से है।
- “विवाह” से तात्पर्य उस महिला से है, जिसके पति की मृत्यु हो चुकी हो तथा महिला ने पुनर्विवाह नहीं किया हो।
- “विवाह पैशन” से तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वृद्धावस्था एवं निराश्रित विवाह पैशन नियम, यथासंशोधित नवीन नियम के अन्तर्गत स्वीकृत राशि से है।
- “अन्त्योदय” से तात्पर्य केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा अन्त्योदय अन्न योजना में घटनित अन्त्योदय कार्ड धारकों से है।
- “आस्था कार्ड” से तात्पर्य विभाग के जिला कार्यालयों द्वारा विशेषयोग्यजनों को जारी आस्था कार्ड से है।

3. पात्रता:-

1. इस योजना के अन्तर्गत सहायता केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही दी जा सकेगी।
2. यह योजना केवल 18 वर्ष या अधिक आयु की किन्हीं 2 कन्या संतानों के विवाह हेतु ही लागू होगी।
3. समस्त वर्गों के बी.पी.एल.परिवार।
4. सभी वर्गों के अन्त्योदय परिवार।
5. आस्था कार्डधारी परिवार।
6. इस योजनान्तर्गत आर्थिक दृष्टि से ऐसी कमज़ोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु। अनुदान के लिये पात्रता निम्नानुसार होगी:-

- I. महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई हो तथा उसने पुनर्विवाह नहीं किया है।
- II. विधवा की मासिक आय हर स्त्रीत से 50,000 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं हो।
- III. परिवार में 25 वर्ष व इससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य परिवार में नहीं हो।

7. ऐसी विवाह योग्य कन्या, जिसके माता पिता दोनों का देहान्त हो चुका है तथा उसकी देखभाल करने वाली संस्थाक उक्त नियम 6 में वर्णित अनुसार पात्रता धारक विधवा है।
8. ऐसी विवाह योग्य कन्या जिसके माता पिता दोनों कोई भी जीवित नहीं है तथा परिवार के किसी भी सदस्य की आय रुपये 50 हजार वार्षिक से अधिक नहीं है, के विवाह हेतु।
9. जिन कन्या संतानों के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा पूर्व में संचालित सहयोग योजना अथवा विधवा पुत्री के विवाह हेतु सहायता अनुदान राशि प्राप्ति की जा चुकी है, उन कन्या संतानों को भी इस नवीन योजना में अधिकतम संतानों की गिनती में सम्मिलित माना जायेगा।

4. योजनान्तर्गत अनुदान :-

योजनान्तर्गत अनुदान 18 वर्ष या अधिक आयु की किन्हीं 2 कन्या संतानों के विवाह हेतु देय होगा।

क्र.सं.	पात्रता	अनुदान	प्रोत्साहन राशि
1	उक्तानुसार पात्र वर्ग की 18 वर्ष वा इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर सहायता राशि	रुपये 10,000/-	-
2	उक्तानुसार पात्र वर्ग की 10 वीं (माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) उत्तीर्ण कन्याओं के विवाह पर (रुपये 5,000 अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि)	रुपये 10,000/-	रुपये 5,000/-
3	उक्तानुसार पात्र वर्ग की स्नातक उत्तीर्ण कन्याओं के विवाह पर (रुपये 10,000 अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि)	रुपये 10,000/-	रुपये 10,000/-

5. प्रक्रिया:

1. सहायता/अनुदान राशि प्राप्त किये जाने हेतु एक निर्धारित ग्रप्त्र में आवेदन निश्चित विवाह तिथि से एक माह पूर्व या विवाह तिथि के छः माह पश्चात तक जिला अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।
2. सम्बंधित अधिकारी द्वारा आवेदन का निस्तारण अधिकतम 15 दिवस की अवधि में किया जायेगा।
 - 1) विवाह पूर्व आवेदन प्राप्ति की अवस्था में जिलाधिकारी के द्वारा आवश्यकता होने पर/संशय होने की स्थिति में आवेदन की सत्यता की पुष्टि रवय के द्वारा की जा सकेगी।

- 2) विवाह पश्यात् आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से आवेदन के साथ संलग्न किया जायेगा।
 3. आवेदक को बी.पी.एल. चयनित परिवार होने के प्रमाण स्वरूप, बी.पी.एल. कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी होगी तथा चयनित सूची क्रमांक अंकित करना होगा।
 4. आवेदक अन्त्योदय परिवार से सम्बद्धित होने की अवस्था में अन्त्योदय कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी होगी।
 5. आवेदक आस्था कार्डधारी होने की अवस्था में आस्था कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी होगी।
 6.
 - क) यदि आवेदिका विधवा पेशन प्राप्त करती है तो आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी संलग्न किये जायेंगे:-
 1. विधवा पेशन का पी.पी.ओ।
 2. आय प्रमाण पत्र।
 3. राशन कॉर्ड में वर्णित सदस्यों में ज्येष्ठ पुत्र की आयु का प्रमाण पत्र। - ख) विधवा पेशन प्राप्त नहीं करने की स्थिति में आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज भी संलग्न किये जायेंगे:-
 1. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
 2. आय प्रमाण पत्र।
 3. राशन कॉर्ड में वर्णित सदस्यों में ज्येष्ठ पुत्र की आयु का प्रमाण पत्र।
7. शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के आवेदनकर्ता अपना आवेदन सीधे जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
8. आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले सभी दस्तावेज स्वप्रमाणित प्रति में प्रस्तुत किये जायेंगे।
9. वर एवं वधु की आयु के प्रमाण पत्र, यदि स्कूल पढ़ने गई है तो स्कूल प्रमाण पत्र अथवा मतदाता सूची में कन्या का नाम अंकित होने का प्रमाण पत्र अथवा राशन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति मान्य होगी।
10. स्वीकृत अनुदान की राशि जिला अधिकारी द्वारा आहरित कर अनुदान राशि आवेदक के नाम से उसके बैंक खाते में जमा करवाई जायेगी।
11. जिलाधिकारी द्वारा आवेदक को माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान की ओर से स्वीकृति की प्रति के साथ बधाई संदेश प्रेषित किया जायेगा।
12. विवाह के दिन अनुदान की प्रबंधित दरों के आधार पर सहायता राशि का भुगतान किया जायेगा, अर्थात् अनुदान संशिका की गणना का आधार विवाह का दिवस होगा।

6. योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा :

जिला स्तर पर योजना के संचालन तथा क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक मोनिटरिंग समिति गठित की जायेगी। जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद तथा समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति, समिति के सदस्य होंगे, जिला अधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति की बैठक प्रत्येक 3 माह में आयोजित की जायेगी तथा समिति द्वारा अपने सुझाव तथा आवश्यकताओं से आयुक्त/निदेशक, समाजिक स्थाय एवं अधिकारिता विभाग को अवगत कराया जायेगा।

७. नियमों में शिथिलता

इन नियमों में किसी भी प्रकार की शिथिलता राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना नहीं दी जायेगी। इन नियमों की व्याख्या, जो आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जायेगी, वही अंतिम एवं बाध्यकारी मानी जायेगी। किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

उक्त सहयोग एवं उपहार योजना संचालन नियम, 2015 वित्त विभाग की आई.डी. 131600272 दिनांक 27.06.2016 के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

(रवि जैन)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ. 15 () ()/सासु/म.क./सान्यांशि/2016/५५ ३२८-५३८ जयपुर, दिनांक 13/07/2016
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त/निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, वित्त (बजट), राजस्थान, जयपुर।
11. जिला कलेक्टर,
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,
13. सपनिदेशक/सहायक निदेशक, सान्यांशि,
14. रक्षित पत्रावली।

निदेशक

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अमरेंड्रपुर भजन ४१ - ३१, राजमहल रोड़ीड़नी हैंड, जगपुर

क्रमांक - एफ १५ ()सा.सु./म.क./सान्चयवि/१६-१७/ ५२५३७-७०

जगपुर दिनांक

१०.८.१६

उपनिदेशक / सहायक निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

विषय - सहयोग एवं उपहार योजना संचालन नियम 2015 के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक 45327 दिनांक 13.07.2016 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सहयोग एवं उपहार योजना संचालन नियम 2015 के विभागीय आदेश क्रमांक 45327 दिनांक 13.07.2016 के द्वारा नवीन योजना संचालन के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है।

- दिशा निर्देशों के पात्रता ३ के बिन्दु संख्या ६ के १। मे अंकित “विधवा की मासिक आय हर स्त्रीत से 50000 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं हो।” के स्थान पर “विधवा की वार्षिक आय हर स्त्रीत से 50000 रुपये से अधिक नहीं हो।” पढ़ा जावे।
- इस योजना में रखीकृत आदेश में अनुदान एवं प्रोत्तराहन राशि का पृथक्-पृथक् उल्लेख किया जावे।
- योजना की गाईड लाईन के अनुसार आवेदन पत्र प्राप्ति के १५ दिवस में निस्तारण करें। अतः नवीन योजना की गाईड लाईन का अवलोकन कर निर्धारित अवधि में पात्रता के अनुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। संलग्न आवश्यक दस्तावेजों की गहनता से जांच की जावे।
- योजना के बिन्दु संख्या ६ में योजना के संचालन के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक मोनिटरिंग कमेटी के आदेश जारी कराये प्रत्येक ३ माह में मोनिटरिंग कमेटी की बैठक आयोजित की जावे।
- योजना में बजट व्यय करने के लिए विभागीय पत्रांक 48812-46 दिनांक 28.07.2016 के अनुसरण में आवश्यक बजट भांग भिजवाये ताकि बजट अभाव में पात्र आवेदक वंचित न रहे।

इसे सर्वोच्च प्राधिकारिकता देवें।



(रवि जैन)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ १५ ()सा.सु./म.क./सान्चयवि/१६-१७/ ५२५७१-६७१ दिनांक १०.८.१६

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- जिला कलक्टर
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
- कोषाधिकारी कोष कार्यालय
- आदेश पत्रायली।



(अशोक कुमार)

अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, बी - 3/1, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक:- एफ 15 ()सा.सु./म.क./सान्याअवि/17-18/ 19658

जयपुर दिनांक :- 18.04.20

आदेश

विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15 ()सा.सु./म.क./सान्याअवि/16-17/45327 दिनांक 13.07.16 द्वारा जारी सहयोग एवं उपहार योजना संचालन नियम 2015 के नियम 4 को बजट घोषणा वर्ष 2017-18 के अनु० संख्या 144 की अनुपालना में निम्नानुसार संशोधित किया जाता है : -

“योजनान्तर्गत अनुदान 18 वर्ष या अधिक आयु की किन्ही दो कन्या सतानों के लिए देय होगा” :-

क्र.सं.	पात्रता	अनुदान	प्रोत्साहन राशि	कुल राशि
1	उक्तानुसार पात्र वर्गों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर सहायता राशि	20,000/-	-	20000/-
2	उक्तानुसार पात्र वर्गों की 10 वीं (माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) उत्तीर्ण कन्याओं के विवाह पर (रूपये 10,000 अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि)	20,000/-	10,000/-	30,000/-
3	उक्तानुसार पात्र वर्गों की स्नातक उत्तीर्ण कन्याओं के विवाह पर (रूपये 20,000 अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि)	20,000/-	20,000/-	40,000/-

उपहार राशि हेतु आवेदन व स्वीकृति की प्रक्रिया की शेष शर्तें यथावत रहेगी। उक्त बढ़ी हुई राशि दिनांक 01.04.2017 या इसके पश्चात् होने वाले विवाहों के लिए देय होगी।

यह आदेश वित्त (व्यय-2) विभाग की आई. डी. संख्या 161700499 दिनांक 12.04.2017 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है।

यह आदेश दिनांक 01.04.2017 से प्रभावी होगें।


(रवि जैन)


निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक:- एफ 15 ()सा.सु./म.क./सान्याअवि/17-18/ 19659-771

जयपुर दिनांक :- 18-04-20

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. समस्त जिला कलक्टर।
10. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद।
11. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास/संयुक्त निदेशक (योजना), मुख्यावास।
12. समस्त कोषाधिकारी कोषकार्यालय।
13. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
14. एनालिस्ट - कम प्रोग्रामर, मुख्यावास पर वेबसाइट अपडेट करने वाले।
15. सहायक निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क मुख्यावास को वास्ते उचित प्रचार प्रसार।
16. आदेश पत्रावली।


(अशोक कुमार)

अतिरिक्त निदेशक (सा.सु)